भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 997
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में जिला न्यायालय बुनियादी ढांचा

997. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में मौजूदा जिला न्यायालयी अवसंरचना के संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पूरे आंध्र प्रदेश में, जिला-वार, विशेषकर नेल्लोर जिले में प्रस्तावित, निर्माणाधीन और वर्तमान में कार्यरत न्यायालय अवसंरचना की सूची का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान नेल्लोर जिले सहित आंध्र प्रदेश में जिला न्यायालय अवसंरचना के निर्माण के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि की कुल राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्तमान में नेल्लोर जिले सहित पूरे आंध्र प्रदेश के जिला न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) पूरे आंध्र प्रदेश में जिला-वार, विशेषकर नेल्लोर जिले में, 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित जिला न्यायालय अवसंरचना परियोजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है और उक्त विलंब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों का होता है । तथापि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार, वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रही है । इस योजना में पांच घटक आते हैं, अर्थात्, न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकीलों के लिए हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष । इस योजना का मूल्यांकन, उसकी प्रभावशीलता के लिए, आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में एक तृतीय पक्षकार अभिकरण द्वारा किया जाता है । इस योजना का मूल्यांकन विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी किया जाता है ।

केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन, परियोजनाओं की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विस्तृत मांगों की प्राप्ति के पश्चात्, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियों का अनन्तिम आवंटन किया जाता है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मदर सैंक्शन (मूल स्वीकृति) जारी की जाती है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए, मूल स्वीकृति की सीमा के भीतर पहचानी गई परियोजनाओं पर व्यय कर सकते हैं । वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य को 8.79 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है । इस स्कीम की समाप्ति की तारीख 31.03.2026 थी और इसे अस्थायी रूप से 30.09.2026 तक बढ़ा दिया गया है ।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नेल्लोर जिले सहित संपूर्ण आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में कार्यरत और निर्माणाधीन न्यायालय अवसंरचना का जिलेवार विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है ।

(ग) : आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन, पिछले पांच वर्षों के दौरान, नेल्लोर ज़िले सहित ज़िला-न्यायालय अवसंरचना के निर्माण के लिए जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)**
1	2021-22	0.00
2	2022-23	22.50
3	2023-24	49.82
4	2024-25	0.99
5	2025-26	30.98
योग		**104.29**

(घ) : आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संपूर्ण आंध्र प्रदेश के न्यायालयों में न्यायिक पदों की कुल रिक्तियों का (31.05.2026 तक) ज़िले-वार विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	न्यायिक ज़िले का नाम*	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद
1.	अनंतपुर	63	15
2.	चित्तूर	80	24
3.	पूर्वी गोदावरी	80	12
4.	गुंटूर	79	4
5.	कडपा	49	5
6.	कृष्णा	107	13
7.	कुरनूल	76	19
8.	नेल्लोर	49	6
9.	प्रकाशम	50	7
10.	श्रीकाकुलम	41	8
11.	विशाखापत्तनम	102	10
12.	विजीयनगरम	32	5
13.	पश्चिम गोदावरी	67	9
	कुल	**875**	**137**

* जिला न्यायालयों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रशासनिक/राजस्व क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से भिन्न है ।

(ङ) : आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 से पहले प्रारंभ की गई दो अवसंरचना परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं । ये परियोजनाएं हैं (i) रामचंद्रपुरम, जिला-कोनसीमा में सिविल न्यायालय (सीनियर डिवीजन) को समायोजित करने के लिए आवासीय क्वार्टर, और (ii) अडोनी, जिला-कुरनूल में छह न्यायालय भवन परिसर का निर्माण। योजना के अधीन परियोजनाओं की प्रगति के संग्रह और निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल के रूप में एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र विद्यमान है ।

*****

उपाबंध—1

आंध्र प्रदेश में जिला न्यायालय बुनियादी ढांचा से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 997, जिसका उत्तर तारीख 24.07.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

जिले का नाम	परियोजनाओं की कुल संख्या	
	संपूर्ण/कार्यरत	निर्माणाधीन
अन्नमय्या	1	1
अनकापल्ली	0	2
पूर्वी गोदावरी	1	1
एलुरु	0	2
वाईएसआर कडपा	0	4
तिरुपति	0	1
विजीयनगरम	0	1
पार्वतीपुरम	0	2
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	1	1
कृष्णा	1	0
कुरनूल	0	1
नांदयाल	0	1
पश्चिम गोदावरी	0	1
चित्तूर	0	1
काकीनाडा	2	2
एन.टी. आर	1	1
विशाखापत्तनम	1	1
प्रकाशम	1	1
श्रीकाकुलम	1	0
ओंगोल	0	0
नेल्लोर	0	0
अनाथपुरमु	0	0
विजीयनगरम	0	0
गुंटूर	0	0
कुल	**10**	**24**

****